सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—। आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संः— 2019/16 दर्ज तिथिः— 14.06.2019

1. सोहनलाल पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू राज.
2. हजारी पुत्र डालूराम जाति मेघवाल निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू
3. प्रताप पुत्र डालूराम जाति मेघवाल निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू
4. हरिराम पुत्र डालूराम निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू
5. राकेश पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू
6. पेमाराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू
7. शुभकरण पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू
8. प्रभुराम पुत्र शिवचन्द जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू
9. फूलाराम पुत्र शिवचन्द जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू
10. गोपीराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू

..... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीगणः— श्री सुरेन्द्र जाखड़
अप्रार्थीगणः—एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111, 128
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956

निर्णय

निर्णय तिथिः— 18.03.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 चिपते खेत पड़ौसी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:57 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी की खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 123/1 तादादी 5.9438 हैक्ट. रोही मौजा भामासी तहसील व जिला चूरू में स्थित है। उक्त कृषि भूमि के पश्चिम तरफ अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 की कृषि भूमि है, पूर्वी तरफ अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 8 की कृषि भूमि है, उत्तरी तरफ अप्रार्थी संख्या 9 की कृषि भूमि है, दक्षिण तरफ अप्रार्थी संख्या 10 की कृषि भूमि है।

3. प्रार्थी का अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 10 के साथ पिछले दो–तीन साल से कृषि भूमि खसरा संख्या 123/1 तादादी 5.9438 हैक्ट. रोही मौजा भामासी तहसील चूरू की सीवों को लेकर विवाद चल रहा है इन दो–तीन वर्षो से प्रार्थीगण संख्या 2 ता 10 के द्वारा काश्त का मौसम समाप्त होते ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 10 की कृषि भूमियों के बीच की सींवे, बाड़ बनाने का, झोपड़े बनाने का, ठीक करने का आदि बहाने बनाकर करली गई व प्रार्थी की सींवों के पास की कृषि भूमि अपने–अपने खेतों में मिलाने की चेष्टा कर रहे है व इस हेतु प्रयासरत है। प्रार्थी द्वारा मना करने पर मरने मारने पर उतारू है।

4. प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 10 की कृषि भूमियों के बीच कायम रही सीवें अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 10 ने क्षतिग्रस्त कर दी है। सींवों के कई जगह निशान अप्रार्थीगण ने मिटा दिये है। सही निशानों का पता नहीं चल रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वोह सींवों की सही निशान देही प्राप्त करे, सही जगह पर सींवें कायम करवाये, नाम जोख कर सींवों के मध्य पत्थरगढ़ी करवाये।

5. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को कई बार कहा व दूसरों से भी कहलवाया कि वोह प्रार्थी के साथ चलकर सही जगह सींवें कायम करवाये, नाप जोख करवा कर सींवों के मध्य पत्थर वगैरा रूपवाकर पुख्ता सींवें कायम करवाये, पहले तो अप्रार्थीगण हां–हूं करते रहे मगर आखिर में दिनांक 30.05.2009 को ऐसा करने साफ तौर से इन्कार कर दिया। प्रार्थी कृषि भूमि का खातेदार, काबिज कौश्तकार होने से इस प्रार्थना–पत्र के प्रति प्रार्थी को आधार प्राप्त है। अप्रार्थीगण की इन्कारी की तिथि से कारण प्राप्त है।

6. वाद गत विवादित कृषि भूमियों न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने से इस प्रार्थना–पत्र के प्रति न्यायालय को हर प्रकार से श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 123/1 तादादी 5.9438 हैक्ट. रोही मौजा भामासी तहसील चूरू की भूमि माप कर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 10 की कृषि भूमियों के बीच की सींवों के मध्य पुख्ता पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश फरमावें।

7. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 2 व 10 पर विधिवत तामील होने के बावजूद इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आया जिसके कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार भूमिधारी है।

8. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित [illegible] प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक सीमा ज्ञान के अनुसार पत्थर[illegible]श जारी करने का निवेदन किया है।

9. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता [illegible] सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा[illegible]संगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:57 IST
Reason: SelfAttested

111. Decision of disputes as to boundaries.—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing*

survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

10. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

128. Boundary disputes. *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

Provided that *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

11. उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 पर विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी सोहनलाल की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 123/1, रकबा 5.9438 हैक्टेयर, रोही मौजा लालासर पट्टा राजपुरा पटवार मण्डल लालासर बणी. तहसील व जिला चूरू में स्थित है। उक्त भूमि के चारों ओर अप्रार्थीगण संख्या 2 से 10 की कृषि भूमि स्थित है, जिससे वे परस्पर सीमावर्ती (पड़ौसी) खातेदार हैं। प्रार्थी का यह कथन है कि पिछले 2—3 वर्षों से भूमि की सीमाओं (सींवों) को लेकर विवाद चल रहा है। यह भी कथित है कि अप्रार्थीगण द्वारा भूमि की सीमाओं को क्षतिग्रस्त किया गया, सीमा चिन्ह (निशान) मिटा दिए गए तथा प्रार्थी की भूमि में अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया। प्रार्थी द्वारा बार—बार निवेदन करने के बाव[illegible]गण ने सीमांकन (नाप—जोख) करवाने से इन्कार कर दिया। प्रक[illegible] तामील किया गया, किन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए अतः उनके [illegible] कार्यवाही की गई। धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सीमाओं के विवाद की स्थिति में राजस्व अधिकारी द्वारा भूमि का मापन कर सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी कराई जा सकती है। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी खातेदार एवं काश्तकार है सीमाओं के संबंध में वास्तविक विवाद विद्यमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:57 IST
Reason: SelfAttested

है सीमांकन आवश्यक प्रतीत होता है सीमाओं के निशान मिट जाने से वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं है। न्यायहित में भूमि का वैधानिक सीमांकन आवश्यक है। उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू खसरा संख्या 123/1, रकबा 5.9438 हैक्टेयर, रोही मौजा लालासर पट्टा राजपुरा पटवार मण्डल लालासर बणी. तहसील व जिला चूरू की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए सीमा के समीप सभी खातेदारों की उपस्थिति में विधिवत सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करावें। संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 18.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:25:57 IST
Reason: SelfAttested